म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

कमांक–प्रांगण/विविध/15–16/361 भोपाल,दिनांकः 17/11/15

—:: परिपत्र::—

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में भू–खण्ड/संरचना आवंटन के संबंध में।

---000---

मेरे देखने में यह आया है कि कतिपय् कृषि उपज मंडी समितियों/उपमंडियों के प्रांगणों में भू–खण्ड/संरचना का आवंटन "म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009" में विहित प्रावधानों के तहत नहीं किया जा रहा है।

"म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009" के नियम 3 में आवंटन के सामान्य सिद्धान्त वर्णित हैं तथा नियम 3 (1) में यह लेख है कि मंडी समिति की कोई भी भूमि या संरचना, इन नियमों में यथा उपबंधित रीति के सिवाय आवंटित नहीं की जायेगी। आवंटन नियम, 2009 के नियम 3 (6) के परन्तु में निम्नांकित लेख है :–

"राज्य सरकार/भारत सरकार के किसी विभाग या अर्द्ध शासकीय संस्था यथा निगम/मण्डल/म0प्र0 सहकारी सोयायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को भू–खण्ड/संरचनाओं का आवंटन प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही कलेक्टर द्वारा निर्धारित कीमत या मूल्य पर किया जायेगा, तथापि राज्य सरकार रियायती कीमत/मूल्य पर आवंटन के लिए अनुज्ञात करने के लिए सशक्त होगी।"

आवंटन नियम, 2009 के उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को अनदेखा करते हुए कतिपय् मंडी समितियों एवं जिला प्रशासन द्वारा मंडी समितियों के प्रांगणों में स्थिति भू–खण्ड/संरचनाओं का आवंटन अर्द्ध शासकीय संस्था/निगम/मंण्डल/ म0प्र0 सहकारी सोयायटी अधिनियम, 1960 के अधीन पंजीकृत सहकारी संस्थाओं को बगैर प्रबंध संचालक के अनुमोदन आवंटित किया जा रहा हैं, जबकि ऐसा करने के लिए वह सक्षम प्राधिकारी ही नहीं है।

अतः आदेशित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समितियों के प्रांगण/उपमंडी प्रांगण में भू–खण्ड/संरचनाओं का आवंटन "म0प्र0 कृषि उपज मंडी (भूमि एवं संरचना का आवंटन) नियम, 2009" के प्रावधान अनुसार ही सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् किया जावे अन्यथा दोषियों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी एवं संबंधित से मंडी समिति को हुई क्षति की पूर्ति उनके वेतन/भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक—प्रांगण / विविध / 15—16 / 362 भोपाल, दिनांक: 17/11/15

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित।

1— कलेक्टर .... (समस्त)।

2— अपर संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

3— मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण यंत्री / संयुक्त संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

4— संयुक्त संचालक / उप संचालक (समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय..... ....।

5— अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....

6— सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... जिला ....

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल